

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 209

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2025-02838

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "न्यू होलसेल मॉर्केट", प्रमोटर- नवकार देवकॉन, द्वारा-  
श्री ऋषभ जैन, पता-शॉप नं.-11, न्यू होलसेल क्लाथ मार्केट, कोलिहापुरी,  
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"न्यू होलसेल मॉर्केट" पता-कोलिहापुरी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
04/05/2026	<p>- प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>- रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 27.05.2025 के अनुसार यह पाया गया है कि भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा-5 अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट "न्यू होलसेल मॉर्केट" पंजीयन क्रमांक-PCGRERA260321001215 के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनांक 26.03.2021 से पंजीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-04 एवं धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये थे, जो प्राधिकरण की वेबसाईट पर सहज उपलब्ध हैं। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, उपरोक्त वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति पोर्टल पर अद्यतन नहीं की गई है।</p> <p>अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरुद्ध दिनांक 05.06.2025 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन जून, 2025 तक प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है तथा वार्षिक विवरण रिपोर्ट वर्ष 2024-2025 भी प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट का त्रैमासिक अद्यतन करते हुये त्रुटिपूर्ण दस्तावेज अपलोड किया गया है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक को निर्देशित किये जाने के</p>	

# छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 209

प्रकरण क्रमांक -M-COM-2025-02838

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध "न्यू होलसेल मॉर्केट", प्रमोटर- नवकार देवकॉन, द्वारा-  
श्री ऋषभ जैन, पता-शॉप नं.-11, न्यू होलसेल क्लाथ मार्केट, कोलिहापुरी,  
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-"न्यू होलसेल मॉर्केट" पता-कोलिहापुरी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>उपरांत संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना प्राधिकरण के निर्देशों एवं परिपत्रों का उल्लंघन है। अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-04 एवं धारा-11 का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-60 अंतर्गत प्रमोटर पर शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अनावेदक पर अधिनियम की धारा-60 के अंतर्गत रूपये 1,00,000/- शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, 30 दिवस के भीतर निर्धारित शासकीय मद-मुख्य शीर्ष 0216-आवास, उप मुख्य शीर्ष 02-शहरी आवास, लघु शीर्ष 105-भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 योजना क्रमांक 3201-रेरा द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड, मद में चालान के माध्यम से जमा कर मूल चालान की प्रति प्रस्तुत करे। यदि अनावेदक द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा अधिरोपित शास्ति की वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही करें।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। - प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	